

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक २१-१२-२००५

क्रमांक 342/13/2005 : विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 30) की धारा 151 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, उप निरीक्षक से अग्नि पद श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को, अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 136, 137, 139, 140 और 141 के अधीन अपराधों का परिवाद दाखिल करने हेतु प्राधिकृत करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(राकेश साहनी)

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

०/८

प्रकाशन क्रमांक 343/13/2005

भोपाल, दिनांक २१-१२-२००५

प्रतिनिधि-

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. भोपाल/जबलपुर/इंदौर।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर जनरेटिंग/ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर।
7. सचिव, म.प्र.राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर।
8. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल - कृपया आगामी राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर विभाग को 50-50 प्रतियाँ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर सचिव

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

०/८